कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना – 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुजफ्फरपुर
जिला– मुजफ्फरपुर

महाशय,

नगर निगम, मुजफ्फरपुर के वर्ष 2016–17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 984 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर निगम बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

–ह0–

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0/14750/121 दिनांक– 8/8/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 984 / 17--18

भाग–I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम:	**नगर निगम मुज्फ्फरपुर**
2	कार्यालय प्रधान का नाम एवं पदनाम:	श्री रमेश प्रसाद रंजन, नगर आयुक्त
3	लेखा की अवधि:	2016–17
4	लेखापरीक्षा की अवधि:	16.10.17 से 30.11.17
5	लेखापरीक्षा दल के सदस्य:	श्री प्रमोद रंजन, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री दीपेश कुमार रजक, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री सुनील कुमार, वरीय लेखा परीक्षक
6	निरीक्षण अधिकारी का नाम	श्री शम्भु प्रसाद गुप्ता वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी ,
7	लेखापरीक्षा का क्षेत्र:	माह मार्च '17 का विस्तृत जांच की गयी।
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित कंडिकाओं की वर्तमान स्थिति	अनुपलब्ध
9	क्या कार्यालय प्रधान से विचार विमर्श किया गया था?	हाँ

दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन–नगर निगम मुज्फ्फरपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना निरीक्षित ईकाई के द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग– ॥(क)

कंडिका– 1 अप्रस्तुत संचिकाओं / दस्तावेजों की सूची

1. वाहनों की सूची एवं लॉगबुक
2. विज्ञापन, बी ओ क्यू एवं जेनरेटर से संबंधित राजस्व प्राप्ति रसीद
3. भवन नक्शा संबंधी प्राप्त राशि की रसीद
4. चयनित माह मार्च 2017 से संबंधित अभिश्रव (आंशिक)
5. चयनित माह में व्यय की गयी राशियों के सत्यापन हेतु संबंधित बैंक खातों का पासबुक
6. फॉगिंग मशीन एवं टैक्ट्रर से संबधित क्रय संचिका
7. बहलखाना से संबंधित भंडार पंजी
8. संधारित अभिलेखों की सूची
9. रसीदों व खपत होने वाली वस्तुओं की भंडार पंजी
10. चल व अचल परिसंपत्तियों की सूची
11. बिजली सामानों की भंडार पंजी
12. सुरक्षित जमा पंजी / जमा वापसी पंजी
13. उपयोगिता प्रमाणपत्र
14. वृत्तिकर संबंधी अभिलेख
15. स्थायी अग्रिम पंजी
16. संचार मीनार अभिलेख(आंशिक)
17. पथों के नुकसान हेतु चार्जेज अभिलेख
18. आवासीय, व्यवसायिक भवनों की मरम्मति अभिलेख
19. स्टाफ क्वार्टर मरम्मति अभिलेख
20. बैंक ऋण अभिलेख
21. अर्नेस्ट मनी जमा / सुरक्षित जमा अभिलेख
22. सावधि जमा(ब्याज प्राप्ति) अभिलेख
23. संधारित अभिलेखों / पंजियों की पंजी
24. चल / अचल सम्पत्तियों की पंजी
25. वार्डवार औद्योगिक व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की सूची एवं सम्पत्ति कर माँग व वसूली अभिलेख।
26. मांग एवं वसूली पंजी
27. भविष्य निधि पासबुक
28. सम्पति पंजी

29. वेतन पंजी
30. अनुदान पंजी
31. चेक निर्गत पंजी
32. उपयोगिता प्रमाण पत्र
33. बजट संचिका
34. योजना संचिका (आंशिक) एवं योजना पंजी।
35. सैरात पंजी
36. मनी रसीद सं0 41001 से 41100
37. आवंटन एवं व्यय संबंधी विवरणी
38. 3 वर्ष के अन्दर सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की सूची
39. चोरी /हानि से संबधित प्रतिवेदन
40. स्वीकृत एवं कार्यरत बल संबंधी विवरणी
41. असमायोजित अभिश्रवों से संबंधित विवरणी
42. रोकड़ अंतशेष की विस्तृत विवरणी
43. रोकड़बही की आय एवं व्यय से संबंधित विवरणी
44. अभिश्रव अप्रस्तुत (राशि– रू. 33.63) **विवरणी परिशिष्ट– I पर संलग्न**

अंकेक्षण दल के द्वारा अंकेक्षण में उक्त सभी अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं करने पर आपत्ति जताई गयी। उक्त आपत्ति के आलोक मे जवाब दिया गया कि सभी अप्रस्तुत अभिलेख अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करने का सकारात्मक प्रयास किया जायगा।

अतः नगर आयुक्त से अनुरोध है कि सभी अप्रस्तुत अभिलेख अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाय एवं फलाफल से अगले लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका:–2 सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अंतर्गत अनियमित लाभ राशि– रू. 28.33 लाख

1. 74वें संविधान संशोधन के अनुसार स्थानीय निकाय एवं स्वतंत्र स्वायतशासी संस्था है, जो बिहार सरकार से पूर्ण या आंशिक अनुदान प्राप्त करता है।
2. वित्त विभाग, बिहार सरकार ने अपने संकल्प सं0 3/ए/2/वे0पु/18/2009/7566 दिनांक 14.07.2010 के कम सं0 3 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों एवं राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक अनुदान प्रदत्त स्वायत्त संस्थाओं या लोक उपकमों पर लागू नहीं होगी।
3. आगे परिशिष्ट 1 के कम सं0 10 में यह स्पष्ट है कि 'राज्य सरकार में नियुक्ति के पूर्व राज्यकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों एवं राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक अनुदान प्रदत्त स्वायत्त संस्थाओं या लोक उपकमों में किसी सरकारी सेवक द्वारा की गयी पिछली सेवा की गणना नियमित सेवा के रूप में नहीं की जायेगी।'
4. कम सं0 13 से यह स्पष्ट है कि 'रूपांतरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना मात्र राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रत्यक्षतः लागू होगी। यह किसी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राज्य

सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक अनुदान प्रदत्त स्वायत्त संस्थाओं या लोक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा।'

5. नगर निगम मुजफ्फरपुर के द्वारा प्रस्तुत की गयी सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना से संबंधित संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि नगर निगम मुज़फ्फरपुर में उक्त योजना का लाभ 01.01.2006 से देने के लिए नगर सचिव की अध्यक्षता में माननीय महापौर के अनुमोदन से एक स्क्रीनींग कमिटि का गठन किया गया। समिति ने सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 09.08.1999 के प्रभाव से प्रथम एवं द्वितीय एवं 01.01.2009 से (एम.ए.सी.पी.) स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की। उक्त आदेश के आलोक में कुल 70 कर्मचारियों को उक्त योजना का लाभ देने के लिए विभिन्न आदेश निर्गत किया गया एवं वेतन निर्धारण किया गया।

6. आगे संचिकाओं के अवलोकन से यह पता चला कि उनमें से कुल 07 कर्मचारियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ का ऐरियर का भुगतान किया गया। विवरणी इस प्रकार है–

क्रम सं0	नाम श्री/सर्वश्री	राशि	चेक सं0	दिनांक
1	रत्नेश प्रसाद सिंह	424059.00	000148	03.10.16
2	राजीव रंजन	129846.00	000390	07.01.17
3	दीपेन्द्र प्रसाद सिंह	505269.00	000391	07.01.17
4	नन्द किशोर मिश्र	483644.00	000392	07.01.17
5	सुनील कुमार सिन्हा	483644.00	000393	07.01.17
6	दुर्गा शरण शर्मा	301737.00	000395	07.01.17
7	अखिलेश कुमार सिन्हा	505269.00	000475	12.04.17
कुल		**2833468.00**		

अंकेक्षण टिप्पणी:–

1. उक्त नियमानुसार सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक अनुदान प्रदत्त स्वायत्त संस्थाओं को नहीं दिया जाना था। अंकेक्षण दल के द्वारा सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ नगर निगम के कर्मचारियों को दिए जाने पर आपत्ति जताई गयी जिसके आलोक में कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों को सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना का लाभ नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्र सं0 8954 दिनांक 02.12.16 एवं स्क्रीनिंग कमिटी में लिए गये निणर्य के आलोक में दी गयीं। कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग ने अपने उक्त पत्र मे यह स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक अनुदान प्रदत्त स्वायत संस्थाओं को यह लाभ नहीं दिया जाना है। नगर निगम राज्य सरकार से पूर्ण या आंशिक अनुदान प्रदत्त स्वायत् संस्था है। इसके साथ साथ नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्र सं0 8954 दिनांक 02.12.16 से यह स्पष्ट नहीं है कि नगर आयुक्त को विभाग से उक्त योजना का लाभ कर्मचारियों को दिये जाने

के संबंध में निर्देश दिया गया है। अतः सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना का लाभ दिया जाना अनुचित एवं अनियामेत है।

2. उक्त आदेश के आलावे अन्य किसी कर्मचारी को इस योजना का लाभ दिया गया है तो दल को आदेश की प्रति उपलब्ध करायी जाय। आपत्ति के आलोक में नगर निगम कार्यालय के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

भाग– II ख

कंडिका– 3 नक्शा पारित करते समय श्रम सेस वसूल नहीं किया जाना राशि– रू. 426.17 लाख

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या– वी0सी0 डब्लू0सी0–01/2008 द्वारा बिहार राज्य के निर्माण श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" के गठन की सूचना सरकार के सभी कार्य विभागों को दी जा चुकी है। सभी कार्य विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि वे वित्तीय वर्ष 2007–08 से उनके द्वारा लिए गये योजनाओं के कुल लागत का 1 प्रतिशत सेस श्रम संसाधन विभाग के विकास भवन में गठित "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" में जमा करें।

इसके अतिरिक्त वैसे रिहायसी मकान जो निजी उपयोग के लिए बनाये जाते हैं और जिसका लागत 10 लाख रूपये से अधिक है उनसे 1 प्रतिशत राशि नक्शा पारित करने के समय ही वसूल कर नगर निगम अथवा नगरपालिका में जमा करना है।

निर्धारित समय पर सेस जमा नहीं करने पर कुल सेस का 2 प्रतिशत प्रतिमाह सूद एवं कुल शेष राशि के बराबर अर्थात एक प्रतिशत + एक प्रतिशत = कुल दो प्रतिशत सेस राशि वसूल किया जाना था। प्राधिकारी जिनके द्वारा सेस जमा किया जाएगा जमा किए जाने वाले कुल उपकर राशि का एक प्रतिशत प्रशासनिक एवं अन्य खर्च हेतु व्यय कर सकेंगे।

बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के पत्रांक– SE-AP-3-12(5-90)28/2012 दिनांक 24.12.14 के अनुसार आवासीय जी+छः तल्ले तक के भवनों का निर्माण लागत राशि रू. 14500 प्रति वर्गमीटर है।

नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में 1012 नक्शा पारित किया गया। पारित 1012 नक्शा में से 975 नक्शा ऐसा पाया गया जिसका उक्त नियमानुसार निर्माण की लागत 10 लाख से अधिक पायी गयी। **(विवरणी परिशिष्ट– II पर संलग्न)**

अंकेक्षण टिप्पणीः–

उक्त नियमानुसार नक्शा पारित के समय श्रम सेस नहीं लिये जाने पर अंकेक्षण दल के द्वारा आपत्ति उठायी गयी। आपत्ति के आलोक में कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि नगर निगम कार्यालय को श्रम सेस काटने से संबंधित कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और न हीं स्वीकृति हेतु नक्शा जमा करते समय

आवेदन से भवन निर्माण का प्राक्कलन लिया जाता हैं। साथ ही पुर्व से इस मद में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गयी है।

कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा इस संबंध में आदेश पहले ही (2008) निर्गत किया जा चुका हैं। साथ ही साथ अंकेक्षण दल के द्वारा पूर्व में अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 470/15–16 के कंडिका सं0 02 में इस संबंध में आपत्ति उठायी गयी थी, परन्तु इस संबंध में नगर निगम के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, विहार सरकार से न तो कोई पत्राचार किया गया और न ही कोई सकारात्मक कदम उठाया गया। फलस्वरूप इस तरह की आपत्ति पुनः दल के द्वारा उठायी गयी। अगर पूर्व में उठायी गयी आपत्ति की दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाया जाता तो राशि रू. 426.17 लाख की हानि से बचा जा सकता था।

इससे स्पष्ट होता है कि राशि रू. 426.17 लाख की हानि हुई जिसकी भरपाई के लिए सकारात्मक कदम उठाये जाएँ एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका:–4 जल शुल्क अधिरोपित नहीं करने के कारण नगर निगम को राजस्व हानि– रू. 129.50 लाख

1. As per Bihar Municipal Act 2007 section- 126 (b) The internal revenues of the Municipality shall consist of the receipt from "user charges levied for provisions of civic services." And section 128 (i) states that " The Municipality shall levy users charges for Provisions of water supply, drainage and sewerage"
2. अधिनियम के इसी प्रावधान के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने अपने पत्रांक– 3/UIG–रिफार्म्स–10/12/1250; दिनांक– 12.07.2013 के जरिए नगरपालिका क्षेत्रों में जलापूर्ति मद में उपभोक्ता–शुल्क उगाही हेतु शुल्क निर्धारित किया गया। उक्त पत्र में मासिक जल शुल्क की न्यूनतम राषि तय किया जो प्रति स्वतंत्र मकान रू. 120.00 थी।
3. लेखा परीक्षा में कार्यालय, नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए जल शुल्क अधिरोपण से संबंधित जानकारी की जॉच से ज्ञात हुआ कि नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने क्षेत्र में कुल 11750 स्वतंत्र मकान में जल संयोग द्वारा जलापूर्ति व्यवस्था की सुविधा दी जा रही है। इनमें से दिसम्बर 2016 तक 11676 स्वतंत्र मकान थे। जनवरी 2017 से मार्च 2017 तक 77 स्वतंत्र मकान में जल संयोग की नयी व्यवस्था लागू थी, परन्तु नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए जानकारी के अनुसार सरकार के उपरोक्त निर्देश के आलोक में नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा इनमें से किसी मकान से जल संयोग द्वारा जलापूर्ति सुविधा दिए जाने के एवज में न्यूनतम मासिक शुल्क भी नहीं लिया जा रहा है। जिसके कारण नगर निगम, मुजफ्फरपुर को कुल रू. 12637800/– (11676*120*9+77*120*3) के राजस्व का नुकसान हुआ।
4. आगे नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने अपने उपरोक्त पत्र के जरिए ही स्वतंत्र मकानों में नए जल संयोजन देने हेतु बतौर जल संयोजन शुल्क प्रति मकान रू. 2000.00 की राषि तय किया था। नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराए गए पंजी के

अनुसार वर्ष 2016–17 में कुल नए 637 स्वतंत्र मकान को नए जल संयोजन दिया गया। इनमें से 440 ऐसे नए जल संयोजन पाए गए जिनसे उक्त नियमानुसार प्रति जल संयोजन रू. 2000/– नहीं लिया गया। परन्तु सभी 440 नए जल संयोजन में राशि रू. 567779 शुल्क लिया गया। **(विवरणी परिशिष्ट III पर संलग्न)** इस प्रकार सरकार द्वारा तय दर पर जल संयोजन शुल्क की वसूली नहीं किये जाने के कारण नगर निगम, मुजफ्फरपुर को रू. 312221/– (440*2000-567779) की हानि हुई।

अंकेक्षण टिप्पणी:–

1. Bihar Municipal Act 2007 section- 126 (b) एवं section 128 (i) एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने अपने पत्रांक– 3/UIG–रिफार्म्स–10/12/1250; दिनांक– 12.07.2013 के अनुसार जल उपभोक्ता शुल्क एवं नए जल संयोजन से शुल्क नहीं लिए जाने पर अंकेक्षण दल के द्वारा आपत्ति उठायी गयी।
2. अंकेक्षण दल के द्वारा इस बात से अवगत कराने का अनुरोध किया गया कि नगर निगम क्षेत्र के वार्डो में जिन जिन उपभोक्ताओं को जलापूर्ति की सुविधा दी जा रही है, उन सभी उपभोक्ताओं को कितना कितना लीटर पानी उपलब्ध करायी जा रही है। उपभोक्ताओं के तरफ से कम पानी प्राप्त होने से संबधित क्या कोई शिकायत भी प्राप्त हुई है।

   अंकेक्षण के द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि–

   1. नगर निगम बोर्ड/स्थायी समिति का निर्णय है कि समुचित जलापूर्ति होने पर शुल्क लिया जायगा। वर्तमान में आवश्यकता से कम आपूर्ति होने की स्थिति में शुल्क नहीं लिया जा रहा है।
   2. प्रति व्यक्ति 35 गैलन मानक जलापुर्ति के विरूद्ध अभी 17 गैलन प्रति व्यक्ति की जलापूर्ति हो रही है। जो आवश्यकता से कम है। इस संबंध में जनता तथा वार्ड पार्षदों के द्वारा समस्या बताई जाती है। उन्हे समस्या से अवगत कराया जाता है तथा आश्वासन दिया जाता है कि हर घर नल जल योजना पूर्ण होते ही समस्या का समाधान हो जायेगा।

   कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि

   1. उक्त पत्र में पानी का मानक आपूर्ति के बाद ही जल शुल्क लिया जायेगा ऐसी शर्त नहीं लिखी है। बिहार नगरपालिका सशक्त स्थायी समिति कार्यसंचालन नियमावली, 2010 के नियम– 10 के अनुसार सशक्त स्थायी समिति ऐसा कोई विचार/प्रस्ताव पारित नहीं करेगा जो नियमावली, विधि या राज्य सरकार के निर्देश के विरूद्ध होगा।
   2. इसके साथ साथ उक्त पत्र में यह कहा गया है कि नगर निकाय में जलापूर्ति कार्य में किए गए व्यय की शत प्रतिशत राशि को वसूलने के लिए एवं बिहार नगरपालिका

अधिनियम की धारा 128–1 के आलोक में नगरपालिका क्षेत्रों मं जलापूर्ति मद में उपभोक्ता शुल्क उगाही हेतु शुल्क निर्धारित कर सकेगी।

इस परिस्थिति में जल उपभोक्ता से जल शुल्क नहीं लिए जाने से राशि रू. 12637800/– की हानि हुई एवं उक्त पत्र के आलोक में प्रति पानी कनेक्शन पर स्थायी शुल्क नहीं लिए जाने से 312221/– अर्थात कुल रू. 12950021/– (12637800+312221) की हानि हुई।

अतः हानि की भरपाई के लिए आवश्यक कदम उठाये जाए एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिकाः–5 काम्पैक्टर की खरीद में अनियमितता राशि रू. 28.85 लाख एवं अधिक भुगतान की राशि रू. 13.65 लाख

नगर निगम मुज्फ्फरपुर में काम्पैक्टर की खरीद से प्रस्तुत की गयी संचिकाओं जिसमें नोट सीट के तरफ एक पृष्ठ संलग्न एवं दाहिने तरफ (correspondence side) संलग्न दस्तावेजों में पृष्ठ संख्या अंकित नहीं पाया गया के अवलोकन में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए--

1. काम्पैक्टर खरीद के लिए निविदा सूचना सं0 15449/ 15–16 दैनिक सामाचार पत्र 'दैनिक जागरण' में दिनांक 31.05.2016 को निकाली गयी। पुनः काम्पैक्टर खरीद के लिए निविदा सूचना का शुद्धि पत्र सं0 15449 दैनिक सामाचार पत्र प्रभात खबर एवं दैनिक जागरण में दिनांक 20.04.2016 को निकाली गयी। शुद्धि पत्र सं0 15449 के अनुसार निविदा आमत्रंण सूचना की तिथि 11.04.16 थी। निविदा दस्तावेज बिकी की तिथि 27.04.16 से 30.04.16 थी, निविदा प्राप्त करने की तिथि 02.05.16 थी। इसके साथ साथ तकनीकी बीड खोलने की तिथि 02.05.16 थी एवं वित्तीय बीड खोलने की तिथि तकनीकी बीड के बाद निर्धारित करना था।
2. क्रय समिति में भाग लेने के लिए नगर कार्यालय के चार अभियंताओं को पत्र निर्गत किया गया। (277/16.05.16)
3. क्रय समिति में भाग लेने के लिए दो आपूर्तिकर्त्ता मे0 जी.जी इनफ्राटेक एवं सुप्रीम इंटरप्राईजेज को पत्र निर्गत किया गया। (530/04.08.16)
4. क्रय समिति की बैठक दिनांक 11.08. 2016 को आहुत की गयी।
5. बैठक के उपरान्त सुप्रीम इंटरप्राईजेज पटना का चयन प्रति पीस रू. 4250000/– पर किया गया। चयनित आपूर्तिकर्ता एवं नगर निगम के बीच दिनांक 01.09.16 को एकरारनामा किया गया।
6. चयनित आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्तिआदेश निर्गत किया गया। (584/16.09.2016)

   आपूर्ति आदेश के क्रम सं0 09 में यह स्पष्ट लिखा है कि सामग्री की आपूर्ति आदेश के दो माह बाद अर्थात 15.09.11 तक कर देनी है। आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा सामग्री की आपूर्ति समय पर नहीं करने पर कार्यालय के द्वारा अपने पत्र सं0 886/15.12.16 से एकरारनामा को

विखंडित कर दिया गया। आगे संचिका के अवलोकन में पाया गया कि पुनः पत्र सं0 933/28.12.16 से समय विस्तार करते हुए अवधि 31.12.16 तक की गयी। परन्तु सामान की वास्तविक आपूर्ति दिनांक 12.01.16 को की गयी। प्राप्त सामान को भंडार पंजी पृष्ठ सं0 169 पर किया गया।

7. संचिका में संलग्न Tender document के क्रम सं0 12 में यह स्पष्ट है कि आपूर्तिकर्त्ता का बिहार में सर्विस सेंटर होना चाहिए।

राशि का भुगतान किया गया। विवरणी इस प्रकार है–

क्रम सं0	सामान का कुल मूल्य	वैट की दर एवं राशि	आयकर	सुरक्षित जमा राशि की कटौती एवं दर	अंतिम भुगतान
1	4250000.00	15 प्रतिशत, 554348.00	2 प्रतिशत, 73913.00	4.35 प्रतिशत, 184783.00	3436956.00

क्रम सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि	किसे भुगतान किया गया
1	081140	24.01.2017	554348.00	वैट
2	081140	24.01.2017	73913.00	आयकर
3			184783.00	सुरक्षित जमा राशि
	081140	24.01.2017	3436956.00	सुप्रीन इंटरप्राईजेज, पटना

अंकेक्षण टिप्पणीः–

1. बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 75 के अनुसार नगरपालिका में किसी सामान की खरीद से पहले या किसी खर्च करने से पहले साधारण बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। अर्थात निर्णय बोर्ड से पास करने के बाद ही समान की खरीदारी की जानी चाहिए। अंकेक्षण दल के द्वारा इस बात से अवगत कराने का अनुरोध किया गया कि उक्त सामान की खरीदारी से पहले किसी बोर्ड की अनुमति ली गयी थी। उक्त आपत्ति के आलोक में कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि उपकरण की खरीदारी सशक्त स्थायी समिति के निर्णय के आलोक में ही निविदा के माध्यम से की गयी है। दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि बोर्ड के कार्यवाही की प्रति दल को उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (H) के तहत 25 लाख से उपर के सामानों की खरीदारी में Advertised tender enquiry प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। जिसके तहत एक से ज्यादा प्रचलित दैनिक सामाचार पत्र एवं Indian Trade Journal, Director General of Commercial Intelligence and Statistics , Kolkata में निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए, परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला कि ऐसी किसी भी प्रकिया का पालन नहीं किया गया था। निविदा प्रभात खबर एवं दैनिक जागरण में दिनांक 20.04.2016 को

निकाली गयी। इसके अलावा 131 (H) (v) के अनुसार Ordinarily the minimum time to be allowed for submission of bids should be **three weeks** from the date of publication of the tender notice or availability of the bidding documents for sale, whichever is later. परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि निविदा दैनिक समाचार पत्र में 20.04.2016 को निकाली गयी जिसमें निविदा डालने की अंतिम तिथि 02.05.16 दी गयी है। **अर्थात केवल 13 दिन का ही समय दिया गया था।** इस संबंध में कार्यालय के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

3. नगर विकास एवं आवास विभाग ने अपने संकल्प सं0 2372/8.8.2014 के द्वारा सभी नगर निकाय को यह निर्देश दिया है कि 'बुडको को राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपकरण, गाड़ियों तथा यंत्रों के क्रय हेतु बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 के नियम 129 के अन्तर्गत 'राज्य क्रय संगठन' किया गया है। इस सेवा के लिए बुडको को 2 प्रतिशत की दर से सेंटेज देय होगा। इसके अलावा यह कहा गया है कि बुडको को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु राज्य क्रय संगठन नामित करने के बावजूद सभी नगर निकायों के पास यह विकल्प के रूप में होगा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्य नगर निकाय बुडकों से करायें अथवा स्वयं करें। नगर निकाय अपने बोर्ड की बैठक में इस संबंध में निर्णय लेकर विकल्प का चुनाव कर सकेंगें। आगे बुडको ने इस संबंध में चयनित आपूर्तिकर्ताओं की एक सूची सामानों के नाम के साथ जारी की। (Budico/यों0/181/12-1031 दिनांक 06-04-2015) जिसके क्रम सं0 3 में उक्त सामान का दर 2800000.00 निर्धारित है। नियमानुसार 2 प्रतिशत सेंटेंज एवं 1 प्रतिशत कंटिजेंसी जोड़ने के बाद जो राशि आती है उसी दर पर बुडको से सामान की प्राप्ति की जा सकती थी, परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि बुडको से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं साधा गया एवं सामान निविदा के माध्यम से खरीदी गयी। 'राज्य क्रय संगठन' बुडको से सामान नहीं खरीद कर निविदा के माध्यम से खरीदने पर अंकेक्षण दल के द्वारा आपत्ति जताई गयी। बुडकों से सामान की खरीदारी नहीं करने पर राशि रू. 1365440.00 का अधिक भुगतान किया गया। (4250000 - 1.0302x 2800000)=1365440 इस संबंध में कार्यालय के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

4. संचिका में तकनीकी एवं वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी संलग्न नहीं पाया गया। नोट शीट में भी इसका जिक्र नहीं पाया गया। जिससे यह पता नहीं चल सका कि कितने निविदादाता ने निविदा डाली थी। संचिका में दो निविदादाता के दर की प्रति अलग से पायी गयी। जिसपर कुछ हस्ताक्षर था, परन्तु यह पता नहीं लगाया जा सका कि हस्ताक्षर किन किन व्यक्तियों का है। तुलनात्मक विवरणी की अनुपस्थिति में यह पता नहीं लगाया

जा सका कि किन– किन व्यक्तियों ने तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के चयन में भाग लिया। इस संबंध में कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि तुलनात्मक विवरणी तैयार की गयी थी, परन्तु कहीं खो जाने के कारण उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, जिसे खोज कर उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि संचिका के नोटशीट में कहीं भी दर एवं सामान के विशिष्टियों का उल्लेख नहीं पाया गया था।

5. काम्पैक्टर का लौग बुक भी दल के समक्ष उपलब्ध कराया जाय, जिससे यह पता चल सके कि खरीदे गये सामानो का उपयोग नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।
6. संचिका से यह पता नहीं चल सका कि थर्ड पार्टी इंसपेक्शन किया गया है अथवा नहीं। इस संबंध में भी कोई जवाब नहीं दिया गया।
7. आपूर्ति आदेश के क्रम सं0 09 में यह स्पष्ट लिखा है कि सामग्री की आपूर्ति आपूर्ति आदेश के दो माह बाद अर्थात 15.09.16 तक कर देनी है। आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा सामग्री की आपूर्ति समय पर नहीं करने पर कार्यालय के द्वारा अपने पत्र सं0 886/15.12.16 से एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया। आगे संचिका के अवलोकन में पाया गया कि पूनः पत्र सं0 933/28.12.16 से समय विस्तार करते हुए अवधि 31.12.16 तक की गयी। परन्तु सामान की वास्तविक आपूर्ति दिनांक 12.01.17 को की गयी। एकरारनामा विखंडित कर निविदा रद्द करने के बावजूद भी सामान की प्राप्ति उसी आपूर्तिकर्ता से करने के कारण से दल को अवगत कराने का अनुरोध किया गया परन्तु कार्यालय के द्वारा इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।
8. उक्त कम्पैक्टर का वाहन अधिनियम के तहत निबंधन किया गया है अथवा नहीं। निबंधन संख्या से दल को अवगत कराने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में भी कार्यालय के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

   इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि समान राज्य क्रय संगठन बुडको से अधिक दर पर खरीदा गया जिसके कारण राशि रू. 1365440/– का अधिक भुगतान किया गया एवं सामान खरीदने के समय बिहार वित्त नियमावली के नियम अध्याय– 8 नियम 124 एवं General Rules of purchasing का पालन नहीं किये जाने से राशि रू. 2884560/– का अनियमित व्यय किया गया।

कंडिका:–6 ट्रेड लाइसेंस नहीं वसूलने से राजस्व की क्षति राशि– रू. 13.38 लाख

विहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 342 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति यथास्थिति, धारा 30 की उपधारा 6 के अधीन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति के बिना या उसकी शर्तो की

अनुरूपता से भिन्न अनुसूची में उल्लिखित गैर–आवासीय प्रयोजनों के लिए किसी परिसर का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग किए जाने की अनुमति नहीं देगा, ताकि इस धारा की उपधारा 2 के उपबंधों का उल्लंघन न हो।

इस अधिनियम की धारा 342 के उपधारा 5 के अनुसार नगरपालिका विनियम द्वारा अवधारित कर सकती है कि कब प्रारंभिक अनुज्ञप्ति प्राप्त की जानी है तथा उसकी वार्षिक नवीकरण की प्रकिया के साथ– साथ यह भी अवधारित कर सकती है कि अनुज्ञप्ति प्रदर्शित करने, परिसर निरीक्षण करने, निरीक्षकों की शक्ति तथा ऐसे अन्य मामले, जैसा आवश्यक समझे जाए।

अधिनियम की धारा 343 के अधीन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी यथाविहित ऐसे फारम में तथा ऐसी रीति से दो अलग अलग रजिस्टर अनुरक्षित करेगा जिसमें से

1. एक में इस अधिनियम में समनुदेषित गैर–आवासीय उपयोग की परिसरवार सूचना, अनन्य परिसर संख्या उपदर्षित की, यदि कोई हो रहेगी।
2. दुसरे में विभिन्न गैर–आवासीय उपयोगकर्ता समूह के आधार पर विनियमों में यथा उपबंधित कारखाना, भण्डारगार, चिकित्सा संस्था, शैक्षिक संस्था एवं अन्य उपयोग के लिए ऐसी अन्य सूचना रहेगी।

इस अधिनियम की धारा 421 के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी समय समय पर इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम बना सकती है।

आगे इस अधिनियम की धारा 129–(ख) एवं (ग) के अनुसार भूमि एवं भवन के विभिन्न गैर आवासीय प्रयोगों हेतु नगरपालिका अनुज्ञप्ति निर्गत कर सकती है एवं शुल्क एवं जुर्माना वसूल सकती है।

आगे संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि उक्त नियमों के आधार पर कार्यालय के द्वारा विनियमों को तैयार कर नगर आयुक्त के समक्ष दिनांक 28.05.15 को उपस्थापित किया गया एवं नगर आयुक्त के द्वारा अनुमोदित भी किया गया। आगे सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.05.2015 के प्रस्ताव सं0– 07 में नगर निगम परिक्षेत्र में अवस्थित दुकानदारों से ट्रेड लाइसेंस वसुलने का अनुमोदन भी दिया गया। विनियमन की कंडिका 8 के अनुसार संलग्न अनुसूची के श्रेणी–1 के व्यवसाय के लिए रू. 500/– श्रेणी–2 के व्यवसाय के लिए रू. 1000/–, श्रेणी–3 के व्यवसाय के लिए रू. 2000/– एवं श्रेणी 4 से 9 तक के लिए रू. 2500/– अनुज्ञप्ति शुल्क प्रति दुकानदार लेन का प्रावधान किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सबसे निम्न दर प्रति दुकानदार रू. 500/– है।

इस संबंध में नगर आयुक्त के द्वारा आदेश भी निर्गत किया गया। (1123/10.06.2015)

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने अपने विभिन्न पत्रों के माध्यम से नगर निगम मुजफ्फरपुर को नगरपालिका अधिनियम 2007 के विभिन्न प्रावधानों के तहत ट्रेड लाइसेंस वसूलने के लिए विभिन्न

पत्र निर्गत किया एवं वसूली की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निर्देश भी दिया। ट्रेड लाइसेंस नगरपालिका के आंतरिक आय का एक मुख्य स्त्रोत है।

आगे संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि कार्यालय के द्वारा विभिन्न दुकानदारों से 2016–17 से उक्त अधिनियम, विनियमन एवं आदेशों के आलोक में रू. 500/–, रू. 1000/– एवं रू. 2500/– की दर से ट्रेड लाइसेंस की वसुली की जा रही है।

अंकेक्षण टिप्पणीः–

1. आंगे नगर निगम कार्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी गयी दुकानदारों की विवरणी एवं जिला परिषद् कार्यालय से प्राप्त जिला परिषद् के अन्तर्गत अवस्थित दुकानदारों की विवरणी से यह स्पष्ट होता है कि उक्त दोनों कार्यालय के द्वारा 1338 (964–नगर निगम की दुकान + 374–जिला परिषद के अन्तर्गत दुकान) दुकान विभिन्न दुकानदारों को आवंटित किया गया। नगर निगम कार्यालय के द्वारा ऐसी कोई सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिससे यह पता चल सके कि उक्त 1338 दुकानदारों से उक्त अधिनियम एवं आदेशों के आलोक में ट्रेड लाइसेंस की वसूली की जा रही है। ट्रेड लाइसेंस की वसूली नही किए जाने से नगर निगम को प्रतिवर्ष कम से कम रू. 500/– प्रति दुकानदार के दर से राशि रू. 669000/– के राजस्व की हानि हो रही है। इस प्रकार नगर निगम 2015–16 एवं 2016–17 में राशि रू. 1338000/– से वंचित होना पड़ा। अगर नगर निगम अपने 964 एवं जिला परिषद् के 374 दुकान से उक्त नियमानुसार ट्रेड लाइसेंस की वसूली कर रहा है तो वस्तुस्थिति से दल को अवगत कि किन– किन दुकानों से ट्रेड लाइसेंस की वसूली की जा रही है एवं उनसे प्रतिवर्ष कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है। आपत्ति उठाये जाने पर कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि अंकेक्षण के उपर्युक्त सुझाव के अनुसार आगे से ट्रेड लाइसेंस की वसूली के लिए सकारात्मक प्रयास किए जायेगें एवं महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जायेगा। अतः नगर आयुक्त से अनुरोध है कि ट्रेड लाइसेंस की वसूली की दिशा में सकारात्मक कदम उठाये जाएँ एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को सुचित किया जाय क्योंकि ट्रेड लाइसेंस नगर निगम के स्वयं के आय का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है।
2. कार्यालय, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल Tirhut Division से एक सूची अंकेक्षण दल को प्राप्त हुई है। इस सूची के अनुसार नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 7477 दुकान है जिनका टीन संख्या है। नगर निगम कार्यालय के द्वारा ऐसी कोई सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे यह पता चल सके कि उक्त 7477 दुकानदारों से उक्त अधिनियम एवं आदेशों के आलोक में ट्रेड लाइसेंस की वसूली की जा रही है। अंकेक्षण दल को इस बात से अवगत कराया जाय कि इन 7477 दुकानों में से कितने दुकानों से उक्त नियमान्तगर्त ट्रेड लाइसेंस प्राप्त की गयी है। सभी का अनुज्ञापत्र संख्या, उनसे प्राप्त राशि से अंकेक्षण दल को अवगत कराया जाय। आपत्ति उठाये जाने पर इस संबंध में कार्यालय के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।
3. विदित है कि टिन का उपयोग VAT के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसायों को पहचानने के लिए किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि TIN number प्राप्त सभी दुकानदार Commercial Tax Department के यहां रजिस्टर्ड

है। अर्थात वे सभी व्यापार कर रहे है तो उन सभी से उक्त नियमानुसार, विनियमन के अनुसार एवं निर्गत विभिन्न आदेशानुसार ट्रेड लाइसेंस नगर निगम को वसूल करना चाहिए था।

इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त नियमान्तर्गत ट्रेड लाइसेंस की वसूली नहीं किए जाने के कारण 2015–16 से 2016–17 की अवधि में कम से कम राशि रू. 1338000/– की हानि हुई। जिसकी भरपाई के लिए सकारात्मक कदम उठाये जाएं एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका:– 7 डोर–टू–डोर कचरा संग्रह हेतु उपभोक्ता शुल्क की वसूली नहीं राशि रू. 21.00 लाख

बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 128 में ठोस अवषिष्ट प्रबंधन के लिए नगरपालिका को उपभोक्ता शुल्क की उगाही करने का प्रावधान किया गया है जबकि धारा 228 में गलियों में किसी ठोस अपषिष्ट को ढेर लगाने या फेंकने के कारण दंड का भी प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान के आलोक में नगर विकास एंवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना सं0– 3/UIG रिफार्म्स 10/2012–1251 दिनांक 12.07.2013 के द्वारा नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस अवषिष्ट प्रबंधन हेतु उपभोक्ता शुल्क निर्धारित किया गया है। उपभोक्ता शुल्क की वसूली हेतु उपभोक्ता की श्रेणी को चार कोटि– (क) आवासीय (ख) गैर आवासीय (ग) स्वास्थ्य सेवा संस्थान (केवल गैर बायो–मेडिकल वेस्ट) एवं (घ) अन्य में बांटा गया है। इनके लिए उपभोक्ता शुल्क की दरें अलग– अलग निर्धारित की गयी है। उक्त प्रावधान के आलोक में नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपभोक्ता शुल्क निर्धारित किया गया है, जो निम्न प्रकार है–

क्रम सं0	उपभोक्ता की श्रेणी	न्यूनतम मासिक शुल्क रूपये में
क	आवासीय	
I	आवासीय घर	30
II	मलिन एवं गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी के आवास	शून्य
ख	गैर आवासीय	
I	फूटपाथी दुकान	शून्य
II	दुकान, खानपान के स्थान (ढावा/मिठाई की दुकान/काफी हाउस इत्यादि)	100
III	रेस्टूरेंट, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, हॉस्टल	500
IV	सितारा होटल या उसके समतुल्य होटल	500
V	व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक ,बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, शैक्षणिक संस्थान	500
ग	स्वास्थ्य सेवा संस्थान, (केवल गैर बायो मेडिकल वेस्ट)	
I	क्लीनिक, डिस्पेंषरी, लेबोरेटरीज	250
II	अस्पताल (50 शय्या तक)	1500
III	अस्पताल (50 शय्या से अधिक)	3000
घ	अन्य	
I	धार्मिक स्थल	शून्य
		आकलन के अनुसार
II	निगम क्षेत्र में स्थित लघु और कुटीर उद्योग, वर्कशॉप (केवल गैर खतरनाक) अवशिष्ट 10 कि.ग्रा. प्रतिदिन	500
III	गेदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर खतरनाक अवशिष्ट)	1000
IV	शादी हॉल, उत्सव हॉल प्रदर्शनी एवं मेला	2500
V	अन्य, जो उपर चिन्हित नहीं है	नगरपालिका के आकलन के अनुसार

इसके अतिरिक्त उक्त अधिसूचना में सड़क के किनारे अवशिष्ट/कचरा जमा करने पर निम्नलिखित दर से जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है–

1. आवासीय मकानों से रू0 100/– प्रति घटना
2. भवन निर्माण सामग्री/मलवा सड़क किनारे रखने पर – रू0 1000/– प्रति घटना एवं मलवा हटाने का वास्तविक व्यय
3. जुर्माना जमा नहीं करने पर 15 प्रतिषत की दर से अतिरिक्त ब्याज वसूलनीय होगा।
4. सभी प्रभार/शुल्क/दण्ड सम्पत्ति कर के बकाया के रूप में वसूलनीय होगा।

लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराए गए सूचनानुसार 2016–17 में नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा 49 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाव की सुविधा प्रदान की जा रही थी जिसमें विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या निम्न प्रकार से है।

	उपभोक्ता की श्रेणी	नगर निगम
क	आवासीय घर	41755
ख	गैर आवासीय	
1	दूकान, खानपान के स्थान (ढ़ाबा/मिठाई की दूकान/कॉफी हाउस)	577
2	रेस्टूरेन्ट, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होस्टल	108
3	सितारा होटल या उसके समतुल्य होटल	....
4	व्यावसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, शैक्षणिक संस्थान	405
ग	स्वास्थ्य सेवा संस्थान (गैर बायो मेडिकल वेस्ट)	
1	क्लिनिक, डिस्पेंसरीज, लेबोरेटरीज	317
2	अस्पताल (50 शैय्या तक)	41
3	अस्पताल (50 शैय्या से अधिक)	2
घ	अन्य	
1	निगम क्षेत्र में स्थित लघु एवं कुटीर उद्योग, वर्कशॉप (केवल गैर खतरनाक) अवशिष्ट 10 कि0 ग्रा0 प्रतिदिन	103
2	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर खतरनाक अवषिष्ट)	81
3	शादी हॉल, उत्सव हॉल, प्रदर्शनी एवं मेला	93

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 128 में किए गए प्रावधान एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0– 3/UIG रिफार्म्स 10/2012–1251 दिनांक 12.07.2013 के आलोक में उपभोक्ता शुल्क की वसूली नगर निगम के द्वारा नहीं लिए जाने से राशि रू. .2078600.00 की प्राप्ति नहीं हो सकी। (विवरणी परिशिष्ट– IV पर संलग्न)

इसके अलावे सड़क के किनारे अवशिष्ट/कचरा जमा करने पर राज्य सरकार की अधिसूचना के आलोक में निगम द्वारा जुर्माना वसूल किया जा रहा है। वसूल की गयी राशि से अंकेक्षण को अवगत कराने का अनुरोध किया गया।

उक्त आपत्ति के आलोक में कार्यालय के द्वारा यह जबाब दिया गया कि कचरा प्रबंधन उपनियम नगर निगम बोर्ड मुजफ्फरपुर से पारित कर नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजी गयी है, परन्तु वहॉ से

इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। फलस्वरूप अभी डोर–टु–डोर कचरा प्राप्त करने के लिए House Holder से कोई शुल्क नहीं ली जा रही है।

कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि नगर विकास एवं आवास विभाग ने पहले ही अधिसूचना सं0– 3/UIG रिफार्म्स 10/2012–1251 दिनांक 12.07.2013 के द्वारा नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु उपभोक्ता शुल्क निर्धारित कर वसूलने का आदेश निर्गत कर दिया है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के आदेश का पालन नहीं करने के कारण नगर निगम को राशि रू. 2078600.00 की हानि हुई। हानि की भरपाई के लिए सकारात्मक कदम उठाये जाएं एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका– 8 4000 लीटर पानी टंकी की खरीद में अनियमितता राशि रू. 31.00 लाख एवं अधिक भुगतान की गयी राशि रू. 37.50 लाख

4000 लीटर पानी की टंकी की आपूर्ति से संबंधित संचिका के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए–

1. M/S Quality Enviro Engineering, Gaziabad के कांटी नगर पंचायत में 4000 लीटर पानी टंकी की आपूर्ति आदेश सं0 97/12.03.16 के आलोक में मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा 10 अदद Stainless Steel का पानी टंकी आपूर्ति करने के लिए आपूर्ति आदेश सं0 213/वि0 दिनांक 18.04.16 निर्गत किया गया। जिसका प्रति पीस रू. 685000/– दर सभी कर सहित निर्धारित था।
2. आपूर्ति आदेश के आलोक में आपूर्तिकर्ता के द्वारा 10 पीस सामान की आपूर्ति की गयी एवं कार्यालय के द्वारा राशि का भुगतान किया गया।
3. आपूर्ति किए गए सामानों को भंडार पंजी के पृष्ट सं0 154 पर हस्तगत किया गया। भुगतान विवरणी इस प्रकार है–

क्रम सं0	सभी कर सहित राशि	आयकर की कटौती 1 प्रतिशत	वैट की कटौती 14.5 प्रतिशत	परफार्मेंस सिक्युरिटी की कटौती 5 प्रतिशत	बिल सं0/दिनांक	आपूर्तिकर्त्ता को अंतिम भुगतान	चेक सं0/दिनांक	समानों की संख्या
1	2740000.00	51851.00	331791.00	114411.00	14/2.05.16	2241947.00		04
2	2740000.00	51851.00	331791.00	114411.00	17/19.05.16	2241947.00		04
3	1370000.00	25925.00	165895.00	57205.00	16/06.05.16	1120925.00		02
कुल	**6850000.00**	**129627.00**	**829477.00**	**286087.00**		**5604819.00**		**10**

अंकेक्षण टिप्पणी:–

1. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (I) के अनुसार 25 लाख तक के सामानों की खरीदारी के लिए Limited tender Enquiry प्रकिया को अपनाना चाहिए जिसके तहत जिस सामान की आवश्यकता है उसके रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता को कार्यालय स्वयं रजिस्टर्ड पत्र द्वारा संपर्क साधा जा सकता है या दैनिक समाचार पत्र जो ज्यादा प्रचलन मे हो उसमें निविदा निकाला जा सकता है या web based wide publicity की जानी चाहिए।

2. बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 75 के अनुसार नगरपालिका में किसी सामान की खरीद से पहले या किसी खर्च करने से पहले साधारण बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। अर्थात निर्णय बोर्ड से पास करने के बाद ही सामान की खरीदारी की जानी चाहिए। अंकेक्षण दल के द्वारा इस बात से अवगत कराने का अनुरोध किया गया कि उक्त सामान की खरीदारी से पहले किसी बोर्ड की अनुमति ली गयी थी या नहीं। कार्यालय द्वारा सशक्त स्थायी समिति से अनुमति की बात की गयी परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. नगर विकास एवं आवास विभाग ने अपने संकल्प सं0 2372/8.8.2014 के द्वारा सभी नगर निकाय को यह निर्देश दिया है कि 'बुडको को राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपकरण, गाड़ियों तथा यंत्रों के क्रय हेतु बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 के नियम 129 के अन्तर्गत 'राज्य क्रय संगठन' किया गया है। इस सेवा के लिए बुडको को 2 प्रतिशत की दर से सेंटेज देय होगा। इसके अलावा यह कहा गया है कि बुडको को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु राज्य क्रय संगठन नामित करने के बावजूद सभी नगर निकायों के पास यह विकल्प के रूप में होगा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्य नगर निकाय,बुडकों से करायें अथवा स्वयं करें। नगर निकाय अपने बोर्ड की बैठक में इस संबंध में निर्णय लेकर विकल्प का चुनाव कर सकेंगे। आगे बुडको ने इस संबंध में चयनित आपूर्तिकर्ताओं की एक सूची सामानों के नाम के साथ जारी की। आगे निर्गत आदेश सं0 Budco/145/15/07 दिनांक 08.01.16 के क्रम सं0 10 से यह स्पष्ट है कि प्रति वाटर टैंकर रू. 310000/– निर्धारित है। इस प्रकार प्रति टैंकर राशि रू. 375000/– अर्थात कुल रू. 3750000/– (685000-310000) का अधिक भुगतान किया गया।
4. इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सामान खरीदने के समय बिहार वित्त नियमावली के नियम अध्याय– 8 नियम 124 एवं General Rules of purchasing का पालन नहीं किया गया। अगर पालन किया जाता तो निविदा में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती एवं शायद इससे कम दाम पर समान प्राप्त हो सकता था।
5. भंडार पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त सभी आपत्तियों के आलोक में कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि सामग्री का क्रय सशक्त स्थायी समिति के निर्णय के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा 2008 में निर्गत आदेश के आलोक में अन्य नगर निकाय के स्वीकृत दर पर किया गया है।

कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि

1. बैठक के कार्यवाही की प्रति दल को उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. आपूर्ति आदेश अप्रैल 2016 में निर्गत की गयी जबकि बुडको को राज्य क्रय संगठन 2014 में बनाया गया था एवं इस सबंध में बुडको ने जनवरी 2016 में एक पत्र निर्गत किया था जिसके क्रम सं0 10 में टैंकर का दर निर्धारित है।